राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(3) वित्त/राजस्व/2016 जयपुर, दिनांकः— 21.10.2020

परिपत्र

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.02.13 की अनुपालना में राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों को भी उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों का अवलोकन कराया जाता है। अवलोकन के पश्चात संबंधित अधिकारी उसके प्रतिवेदन में की गई ग्रेडिंग/मूल्यांकन से सन्तुष्ट नही है तो वह अपना अभ्यावेदन 15 दिवस में प्रस्तुत कर सकता है। अभ्यावेदन पर विभागाध्यक्ष/कैडर नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होने पर संबंधित अधिकारी अपने प्रकरण को अपीलीय बोर्ड में रखने हेतु अपील कर सकता है।

राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों के ऐसे प्रकरणों को निस्तारण हेतु निम्नानुसार अपीलीय बोर्ड का गठन किया जाता है :—

1	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त	अध्यक्ष
2	शासन सचिव, वित्त (राजस्व)	संयोजक
3	शासन सचिव, वित्त (बजट)/विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय) (अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त द्वारा नामांकित)	सदस्य

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नीलेश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त विभागाध्यक्ष(जिला कलेक्टरों) सहित)।
7. समस्त नियंत्रक अधिकारी।
8. समस्त राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

D:\MY COMPUTER\GUPTA - 3\Transfer Order- 1.docx